सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

पीठासीन अधिकारीः— श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)

निर्णय

प्रकरण सख्या : 149/2012

बउनवानः—

भागचन्द पुत्र श्री राजाराम जाति मीना निवासी भगवानपुरा तहसील मांगरोल जिला बारां

...वादी

♠ बनाम ♠

01. रामनारायण पुत्र श्री रंगलाल
02. धन्नालाल पुत्र श्री गोपाल
03. हेमराज पुत्र श्री चतरा

} जातियान मीना निवासीगण भगवानपुरा तह0 मांगरोल जिला बारां

04. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 183 आर0टी0एक्ट0

वकील वादी : श्री हरिओम प्रजापति

वकील प्रतिवादीगण : श्री लिहाज हुसैन अंसारी, श्री हरिओम प्रजापति

दायरा दिनांकः 07.09.2012

निर्णय दिनांक : 19.02.2019

प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी के खाते की आराजी खाता संख्या 178 खसरा नं0 359/929 रकबा 1.29 है0 वाके ग्राम भगवानपुरा तहसील मांगरोल में स्थित है जो वादी के खाते राजस्व रेकार्ड जमाबंदी सम्वत 2066 से 2069 में दर्ज है जिसका वादी एक मात्र तन्हा खातेदार है। प्रतिवादीगण कम 1 ता 3 वादी के पडौसी काश्तकार है व लडाकू व ताकतवर लडाकू प्रवृत्ति के व्यक्ति है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी की आराजी खसरा नं0 359/929 रकबा 1.29 है0 ग्राम भगवानपुरा को जबरदस्ती ताकत के बल पर हांक लिया है। तथा वादी को उसके खाते की भूमि से बेदखल करने की नियत रखे हुए है। वादी की भूमि पर जबरन काबिज है। जिसका प्रतिवादीगण को कोई कानूनी अधिकार नही है। वादी प्रतिवादीगण द्वारा किये गए अवैध कब्जा को हटाए जाने का अधिकारी हैं। अतः प्रतिवादीगण कम 1 ता 3 को वादी के खाते की आराजी खाता संख्या 178 खसरा नं0 359/929 रकबा 1.29 है0 वाके ग्राम भगवानपुरा तहसील मांगरोल पर किये अवैध कब्जा हटा कर बेदखल किया जाकर वादी को मौके पर भूमि का कब्जा सम्भलाया जावें। तथा प्रतिवादीगण को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें कि उक्त वर्णित आराजी में दखलअंदाजी ना तो स्वयं करें और ना ही अपने प्रतिनिधि से करावें।

उक्त आशय का वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 05.12.2013 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया जिसकी तामिली प्रति शामिल फाईल है। प्रतिवादी कम की ओर से अधिवक्ता श्री हरिओम यादव व श्री लिहाज हुसैन अंसारी ने वकलात नामा प्रस्तुत कर जवाब दावा पेश किया जिसके अनुसार वाद वादी की समस्त मद अस्वीकार कर निवेदन किया कि प्रतिवादी कम 1 अपनी खाते की आराजी पर जब से आवंटन हुआ है तभी से प्रतिवादी कम 1 अपनी आराजी पर काबिज काश्त करता चला आ रहा है। प्रकरण में वकील वादी द्वारा राजाराम पुत्र सुखलाल जाति मीणा निवासी भगवानपुरा के बयान करवाये। बयान में गवाह द्वारा वादी वादपत्र का समर्थन किया है एवं कथन किया है कि वादी की आराजी को प्रतिवादी कम 1 ता 3 से मुक्त करवाया जावें।

पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन, मनन व अध्ययन किया गया। चूकि प्रकरण आर0टी0एक्ट0 धारा 183 का है जिसमें टाइटल होल्डर को अवैध कब्जा काश्त करने वाले प्रतिवादीगण के विरूद्ध बेदखली आदेश जारी कर मौके पर राहत देने का प्रोविजन है। प्रतिवादीगण को अपना पक्ष प्रस्तुतीकरण हेतु आजतक लगभग 48 अवसर दिये जा चुके है, अब और अवसर दिया जाना न्यायालय उचित नही समझता है। अतः मुताबिक वाद पत्र, संलग्न दस्तावेज एवं वकील वादी द्वारा की गई एक पक्षीय बहस व न्यायालय गुण अवगुण के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाता है एवं प्रतिवादी कम 1 रामनारायण पुत्र श्री रंगलाल व प्रतिवादी कम 2 धन्नालाल पुत्र श्री गोपाल व प्रतिवादी कम 3 हेमराज पुत्र चतरा जाति मीना निवासीगण भगवानपुरा तहसील मांगरोल को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वादी की कब्जे व खाते की आराजी आराजी खाता संख्या 178 खसरा नं0 359/929 रकबा 1.29 है0 वाके ग्राम भगवानपुरा तहसील मांगरोल में किसी प्रकार की दखलअंदाजी ना तो स्वयं करें और ना ही अपने प्रतिनिधि से करावें व वादी को शांति पूर्वक काश्त करने देवें। प्रतिवादी कम 4 तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) को आदेश दिया जाता है कि वादी व प्रतिवादीगण की उपस्थिति में मौके पर वादीगण की खाते व कब्जे की आराजी खसरा नं0 359/929 रकबा 1.29 है0 का सीमाज्ञान करवावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.02.2019 को सरेईजलास मजमेंआम में सुन